तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-12-25	[illegible] ग्रह द्वारा कार्य स्थगित [illegible] अप्रार्थी सं 2,3,5 के वेरंगल पेश किये। अन्य कार्य में व्यस्त तथा तलबी हेतु तलबाना पेश किया [illegible] जावे दिनांक 23-12-25 को पेश हो	
23-12-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। डाक रजिस्टर पेश किये। अप्रार्थी संख्या 2,3,5,8 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03-02-26 को पेश हो।	
03/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपा बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06.02.26 को पेश हो।	
06/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपा बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया अवलोकन पर पाया गया कि विवादित आराजी का कोई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है तथा पक्षकारान के हकों का निर्धारण होने में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढ़े। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना नहीं पाते है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा स्थगन आदेश दिनांक 16.06.25 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नैबर ले जाये। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०